सम्पादक के नाम

बोलने की तमीज़ ठीक करो....

जी हाँ , तलवे चाटने वाले मीडिया से इसी लहजे मे बात की जाती है।

एटीकेट सीखो...एटीकेट सीखो...मीडियो के एटीकेट सीखो...मैं कहता हूं मुझे आपकी नहीं सुननी है, मुझे जनता की सुननी है...नहीं मीडिया की नहीं सुननी है...मीडिया केवल पूछ सकता है...मीडिया माध्यम है।"

सीएम खट्टर लगातार बोले जा रहे थे। जब पत्रकार ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा, "मीडिया माध्यम है...जनता की बात बताओगे तो ठीक है...बोलने की तमीज ठीक करो अपनी...चलो...चलो...चलो।" इतना कहकर सीएम मीडियाकर्मियों को धकियाते हुए आगे बढ़ गये।

यह घटना कल की है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे सीएम विंडो से संबंधित सवाल पूछे जाने पर खट्टर पत्रकार से नाराज हो गये। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों पर अधिकारी अधिकतर जल्दबाजी में मामला निपटा देते हैं. जिससे न्याय नहीं हो पाता, क्या ये आरोप सही है ?

सीएम ने छूटते ही पूछा आप कौन हैं ? ओर सीएम काफी उग्र हो गये ओर फिर उपरोक्त एकालाप शुरू हो गया।

- साइबर नजर

यह इमरजेंसी का भाजपा संस्करण है

गजब जनतंत्र है। पिछली सदी की इमरजेंसी का हल्ला है और जनसभा में जन पर ही ज़बरिया/पुलिसिया 'ड्रेस कोड' लागू है।

'पत्रिका' में पढ़ा कि जयपुर के मोदी तमाशे में एक सिख श्रोता को पंडाल से इसलिए उठा दिया गया, क्योंकि उसकी पगड़ी का रंग काला था। तभी बैठने दिया गया जब पगड़ी पर भगवा स्कार्फ़ लपेट दिया गया। लोकतंत्र ही नहीं, आस्था से भी खिलवाड़ ?

सुनते हैं काले रंग से चिढ़ गुजरात में पटेल समुदाय के प्रतिरोध के बाद पैदा हुई है। मगर लोकतंत्र में प्रतिरोध कबसे गैर-मुनासिब होने लगा ?

लोग काले झंडे दिखाएँ, यह भी लोकतंत्र में जायज़ हक़ है। लेकिन काला क़मीज़, बनियान, दुपट्टा, बुर्क़ा, पगड़ी ? सबकी इज़्ज़त उतार देंगे, सरेआम ? जन-संवाद (!) के नाम पर बुलावा देकर ? पता नहीं बेचारे काले जूते या काली कमरपेटी पहनने वालों का क्या किया होगा।

-गिरीश मालवीय

भारत में चाईना बैंक आने के मायने ?

जो जैसा सामान्य लोगों को दिखाई देता है,वह वैसा होता नहीं ? सत्य को देखना,पहचानना और समझना आम आदमी के दिमाग से परे के सत्य है।

चीन को आर एस एस और भाजपा, तथाकथित भारत के सामान्य लोगों को, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बतला कर पेश करती रही हैँ ।

मोदी चीन के कई चक्कर लगा चुका है जिन्हें उसके भारत के हित में किये विदेशी दौरे कहा जाता रहा है। हर बार, मोदी के जाने से पहले, सरकारी प्रचारतंत्र हमें उसके जाने के कारण भी बताता रहा है।

क्या कभी इस सरकारी प्रचार में ,मोदी के जाने पहले या उसके वापिस आने पर ,इस बैंक के भारत में स्थापित होने के बारे कोई भनक किसी को लगने दी गई थी ?

इसी तरह क्या कभी मोदी ने इसकी भारत के लोगों को कोई भनक लगने दी थी ?

भारत में यह बैंक लगवाने से पहले,क्या मोदी ने आर एस एस के चीफ मोहन भागवत से अनुमति नहीं ली होगी ?

तो भारत के उल्लू और बेवकूफ समझे जाने वाले लोगो ,यह इस घटना से,सदा के लिए समझ लो कि तुम्हारे ऊपर शासन करने वाले विशेष लोग कभी भी तुम्हें वे क्या हैं, आप पर शासन कैसे करते हैं,कौन तुम्हारे मित्र हैं और कौन दुश्मन,कौन भारत के शासकों के मित्र हैं और कौन दुश्मन वगैरह कभी भी नहीं बतलाएंगे और जो बतलाएंगे वह कभी भी सत्य नहीं होगा। इस लिए इन पर और इनके सरकारी तंत्र के प्रचार पर विश्वास करना बंद करो ?अपनी समझ का विकास करो ताकि स्वयं समझने के योग्य बन सको।

- ओम थानवी

थाईलैंड और भारत की मानसिकता में फर्क

25 जून से थाईलैंड की जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच एक गुफा में फंसे थे जहाँ वे मैच के बाद घूमने गए थे । अचानक भारी बारिश के कारण गुफा के मुंह में पानी भर गया और बच्चे गुफा के अंदर 2 किलोमीटर तक चले गए । जैसे ही घटना की जानकारी मिली पूरा राष्ट्र एकजुट होकर इन्हें बचाने के लिए इक्कठा हो गया । दो डॉक्टर गोताखोरों के साथ गए । ऑक्सिजन की लाइन बिछा दी गई । बच्चों को खाना पानी पहुचा दिया गया । सबसे बड़ी बात कोच ने बच्चो के माँ बाप से माफी मांगी और बच्चों के माँ बाप ने तत्काल कोच को संदेश भेजकर उन्हें अपराधबोध से मुक्त कर दिया।

पहले ये बताया जा रहा था कि बच्चों को 2 से 3 महीने तक गुफा में ही रहना पड़ेगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के 6 गोताखोरों ने 2 स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर सभी बच्चों और कोच को निकाल लिया गया।

अब यदि यह घटना भारत में हुई होती तो क्या होता ? सबसे पहले एक बड़ी भीड़ कोच के घर को घेर लेती, उसके मां बाप भाई बहिन पत्नी के साथ मारपीट करती , उसके घर में आग लगा देती । पूरा देश विशेष बनकर व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने ,सुझाव देने लगता। टीवी चैनल तत्काल 6 का पैनल बनाता, जिसमें 2 मुस्लिम विद्धान 2 हिन्दू विद्धवान , 1 मुस्लिम धर्मगुरु, 1 हिन्दू धर्मगुरु और विशेष आमंत्रित एक पत्रकार भी रहता और बहस शुरू हो जाती । पूरे देश के मंदिरों में पंडित जी विशेष पूजा , हवन , और महा मृत्युंजय का जाप शुरू करवा देते ।

अंत में फ़ौज को बुलाया जाता और आपरेशन बचाव शुरू किया जाता। और यदि बच्चे बच जाते तो क्रेडिट लेने की और एक दूसरे को जलील करने की होड़ शुरू हो जाती ।

- कोलंबा कालीधर

61 लाशें, मगर कहानी सबकी एक जैसी

अजय सिंह

अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका कामचलाऊ तर्जुमा कुछ इस तरह होगा: जो लोग मर गए हैं, वे अपनी कहानी नहीं कह पाते। क्या वे 61 लोग, जो उत्तर प्रदेश में 20 मार्च 2017 से 7 जुलाई 2018 के बीच तथाकथित पुलिस मुठभेड़ों में मार डाले गए, अपनी-अपनी कहानी कह पाएंगे ? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 90 प्रतिशत से ज़्यादा इस तरह की मुठभेड़ें नकली व फ़र्ज़ी हैं और इनका मक़सद कानून व व्यवस्था की स्थिति सुधारने की आड़ में पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर लोगों की हत्या कर देना रहा है।

ऐसी मुठभेड़ों के संबंध में मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उससे दो हफ़्ते के भीतर जवाब मांगा है। इसे योगी सरकार के लिए गंभीर झटके के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि उसे पहली नज़र में याचिका में दम दिखा।

अपनी याचिका में पीयूसीएल ने मांग की है कि मार्च 2017 से लेकर, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी, इस साल अब तक मुठभेड़ में जितनी ''हत्याएं'' हुईं हैं, उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करे, और इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का कोई अवकाशप्राप्त जज करे। याचिका में कहा गया है कि जिस बेलगाम छूट के साथ पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं, उससे पता चलता है कि इन्हें राज्य सरकार का खुला समर्थन मिला हुआ है। याचिका में कहा गया है कि कई मौक़ों पर योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान आये हैं, जो "मुठभेड़ हत्याओं" को जायज ठहराते हैं और इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। पीयूसीएल का कहना है कि ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन हत्याओं की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे।

पीयूसीएल की याचिका में 31 मार्च 2018 तक की "मुठभेड़ हत्याओं" के आंकड़े दिये गए हैं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक तौर पर जो जानकारी मौजूद है, उसके मुताबिक राज्य में पिछले साल मार्च 2017 से लेकर इस साल मार्च 2018 तक 1100 ज़्यादा मुठभेड़ें (एनकाउंटर) हुईं, जिनमें 49 लोग मारे गये और 370 लोग घायल हुए। याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच इन मुठभेड़ों में 45 लोग मारे गए।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किये गए ब्यौरे के अनुसार, 20 मार्च 2017 से लेकर 7 जुलाई 2018 तक पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर की घटनाएं 1400 से ऊपर हो चुकी हैं, जिनमें 61 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस की निगाह में ये सभी शातिर बदमाश थे। हर जगह मुठभेड़ की कहानी व तौर-तरीक़ा लगभग एक जैसा था और पैटर्न भी एक-दूसरे से मिलता-जुलता था। इन मुठभेड़ों में से हर एक की जो विधि-सम्मत जांच-पड़ताल सरकार को करानी चाहिये थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, वह नहीं हुई। न एफ़आरआई लिखी गयी, न मजिस्ट्रेटी जांच हुई, न मुक़दमा दर्ज़ हुआ।

जो 61 लोग इन "मुठभेड़ हत्याओं" के शिकार हुए उनमें से 27 मामलों में पुलिस विभाग ने जांच कर अपने को पाक साफ़ घोषित कर दिया। शेष 34 मामलों की जांच अभी होनी है। जिन मामलों की अभी जांच होनी है, वह कुल "मुठभेड़ हत्याओं" का 50 प्रतिशत से ज़्यादा है। गौर करने की बात है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के ठीक पहले के तीन सालों (2014, 2015 और 2016) में मुठभेड़ की घटनाएं कुल 16 हुईं।

योगी सरकार बनने के बाद इन घटनाओं में जिस तरह अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसमें लोकसभा में भी चिंता जताई जा चुकी है। पीयूसीएल ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा बार-बार दिये गए इस बयान को उद्धत किया है कि अपराधी या तो जेल जायेंगे या मुठभेड़ों में मार डाले जायेंगे। याचिका में पिछले साल 19 नवंबर को दिये गए मुख्यमंत्री के बयान का हवाला दिया गया है कि जो लोग समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं और बंदूक में विश्वास करते हैं, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पीयूसीएल का कहना है कि यह कानून और विधि-विधान की भाषा नहीं है।

एक अन्य मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ख़ासकर आज़मगढ़ जिले और उससे सटे इलाक़े में, फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ की व्यापक जांच-पड़ताल की है। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने बताया कि पिछले दिनों जिस तरह 5 लोगों - मोहन पासी, रामजी पासी, जयहिंद यादव, मुकेश राजभर और राकेश पासी—को पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर मार डाला, वह पुलिस की पोल-पट्टी खोल देता है। इन सभी तथाकथित मुठभेड़ों का तौर-तरीक़ा कमोबेश एक जैसा ही था, और यह पुलिस के हाथों की गई निर्मम हत्याएं थीं।

निवेदक रिहाई मंच का महासचिव है

सेवा में,

दिनांक- 6 जुलाई 2018

पुलिस महानिदेशक महोदय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महोदय,

निवेदक रिहाई मंच का महासचिव है जो समय-समय पर मानवाधिकार उल्लंघन तथा जनसाधारण के खिलाफ होने वाले अन्यायों, जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। निवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले फर्जी एनकाउंटर पर भी आवाज उठाई गई जिससे नाराज होकर सीओजी नंबर 9454402912 से एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि वह आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर थाने का इंचार्ज है तथा एसओजी को देखता है जिसका नाम अरविंद यादव है। उक्त व्यक्ति ने निवेदक के फोन नंबर 9452800752 पर कल दिनांक 5 जुलाई 2018 को रात में लगभग 10 बजे फोन करके निवेदक को गालियां देते हुए ''ठीक नहीं होगा जान लेना,'' ''सेहत के लिए ठीक नहीं होगा,'' ''इसे परामर्श समझो या धमकी जो भी समझते समझ लो,'' ''तुम्हारे घर पर आउंगा,'' ''मैं कल आ रहा हूं तुम्हारे घर,'' ''बचा लेना तो बताना भागो,'' ''आफिस कहा है ये बताओ तुम्हारा आफिस कहां है,'' ''रहते कहां हो,'' ''कल अगर नहीं आए तो ठीक नहीं होगा,'' ''कल शाम तक नहीं आए तो मुकदमा लिखूंगा,'' ''तुम रंडी की औलाद है,'' '' मैं कह रहा हूं तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो,'' ''अगर फिर नाम छप गया तुम्हारे मंच से तुम अपने लिए खैर मत समझना,'' ''सुन लो राजीव होश में रहना होश में रहो दिमाग ठिकाने कर लो,'' ''ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए'', जबकि निवेदक द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्यों से हुई बातचीत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीयूसीएल द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई नोटिस के आधार पर प्रेस नोट जारी की गई है। इस प्रकार फोन करने वाले ने प्रतिरोध की आवाज को बंद कर देने की धमकी देते हुए आवाज समाप्त कर देने तथा मुकदमा लिखने की धमकी दी जिससे लगता है कि धमकी देने वाला किसी की भी मृत्यु कारित कर सकता है अन्यथा घर आने तथा ठीक नहीं होगा की धमकी न देता।

निवेदक धमकी से भयभीत है कि पुलिस का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी समय निवेदक को जान से मार सकता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि मामले को संज्ञान में लेकर संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय तथा आपराधिक मामला मानते हुए जांच कराना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। सीओजी द्वारा निवेदक के फोन पर हुई बातचीत का विवरण संलग्न प्रर्थाना पत्र है।

अत: निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेकर संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय तथा आपराधिक मामला मानते हुए जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

निवेदक
राजीव यादव पुत्र श्री इन्द्रदेव यादव
महासचिव रिहाई मंच, 9452800752
110/60 नया गांव ईस्ट, थाना अमीनाबाद लखनऊ